

बिहार सरकार
अनुसूजाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-03/निदे0 (छात्रावास संघा0)-66-24/2018-275

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-06/01/2020

विषय:—वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए अंतिम चार माह (दिसम्बर से मार्च तक) के लिए अनुसूचित जाति के लिए ₹34,37,834/- (चौतीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ चौतीस रु०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹4,03,209/- (चार लाख तीन हजार दो सौ नौ रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹38,41,043/- (अड़तीस लाख इकतालीस हजार तैंतालीस रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए ₹98,22,384/- (अनठानबे लाख बाईस हजार तीन सौ चौरासी रु०) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹11,52,026/- (ग्यारह लाख बावन हजार छब्बीस रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹1,09,74,410/- (एक करोड़ नौ लाख चौहत्तर हजार चार सौ दस रु०) मात्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-37 दिनांक-24.04.2025 द्वारा प्रदान की गई है। तदनु रूप उक्त स्वीकृत राशि में से वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025 के आलोक में अंतिम चार माह (दिसम्बर से मार्च तक) के लिए अनुसूचित जाति के लिए ₹34,37,834/- (चौतीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ चौतीस रु०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹4,03,209/- (चार लाख तीन हजार दो सौ नौ रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹38,41,043/- (अड़तीस लाख इकतालीस हजार तैंतालीस रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार आवंटित की जाती है। इस आवंटित राशि से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-4391 दिनांक-10.09.2018 के आलोक में खाद्यान्न पहुँचाने हेतु प्रशासनिक एवं परिवहन-सह-हथलन मद में ₹118.90 रुपये (एक सौ अठारह रु० नब्बे पैसा) प्रति किंवटल की दर से भुगतान की जाएगी।

2- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष 0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु

शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष 0101-शिक्षा-विषय शीर्ष 0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार करेंगे। वे राशि का निकासी कर अपने जिला के जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को मांग के आलोक में ई-चालान के माध्यम से राशि हस्तगत करायेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे।

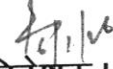
4-राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17-4-98 तथा समय-समय पर दिए विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5-महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


निदेशक।

दिनांक- 06/01/2026

ज्ञापांक-03/निदे0 (छात्रावास संधा0)-66-24/2018- 275

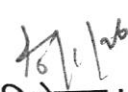
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास बिहार पटना/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) (i) संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर/संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

विवरणी-1
अनुसूचित जाति

क्र० सं०	जिला का नाम	जिला के स्वीकृत छात्रावासों का छात्र/छात्राओं का संख्या बल	कुल खाद्यान्न (किलो ग्राम में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अंतिम चतुर्मास (दिसम्बर से मार्च तक) का आवंटन (35%)
1	2	3	4	5
1	Araria	125	22500	49140
2	Arwal	25	4500	9828
3	Aurangabad	50	9000	19656
4	Banka	150	27000	58968
5	Begusarai	50	9000	19656
6	Paschim Champaran, Betiah	340	61200	133661
7	Bhagalpur	350	63000	137592
8	Bhojpur, Arah	475	85500	186732
9	Buxar	250	45000	98280
10	Darbhanga	490	88200	192629
11	Gaya	300	54000	117936
12	Gopalganj	75	13500	29484
13	Jamui	50	9000	19656
14	Jehanabad	300	54000	117936
15	Kaimur	375	67500	147420
16	Katihar	125	22500	49140
17	Kishanganj	100	18000	39312
18	Madhepura	175	31500	68796
19	Madhubani	50	9000	19656
20	Purbi Champaran, Motihari	100	18000	39312
21	Munger	100	18000	39312
22	Muzaffarpur	400	72000	157248
23	Nalanda	250	45000	98280
24	Nawada	475	85500	186732
25	Patna	900	162000	353808
26	Purnia	325	58500	127764
27	Rohtas	375	67500	147420
28	Saharsa	75	13500	29484
29	Samastipur	665	119700	261424
30	Saran	150	27000	58968
31	Sheikhpura	25	4500	9828
32	Sitamarhi	525	94500	206388
33	Siwan	300	54000	117936
34	Supaul	225	40500	88452
Total		8745	1574100	3437834

पत्रांक- 275 दिनांक- 06/01/2026

निदेशक

विवरणी-2
अनुसूचित जनजाति

क्र० सं०	जिला का नाम	जिला के स्वीकृत छात्रावासों का छात्र/छात्राओं का संख्या बल	कुल खाद्यान्न (किलो ग्राम में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अंतिम चतुर्मास (दिसम्बर से मार्च तक) का आवंटन (35%)
1	Banka	150	27000	58968
2	Paschim Champaran, Betiah	277	49860	108894
3	Bhagalpur	200	36000	78624
4	Jamui	50	9000	19656
5	Kaimur	25	4500	9828
6	Muzaffarpur	100	18000	39312
7	Purnia	175	31500	78099
8	Rohtas	25	4500	9828
Total		1002	180360	403209

पत्रांक-275 दिनांक-06/01/2026


निदेशक